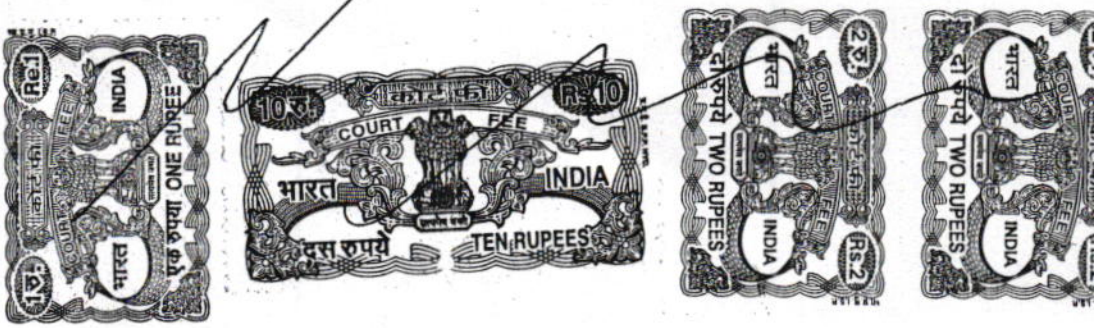

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–शिवपुरी

रामकिशन पुत्र सोबतिया बाढ़ई, निवासी–कलोथरा अब्बल तहसील करैरा जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–शिवपुरी

..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 4033-II/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.03.2013 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, कलोथरा अब्बल तहसील करैरा जिला–शिवपुरी में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 490 रकवा 0.14 हेक्टेयर एवं 571 रकवा 0.54 हेक्टेयर भूमि से लगी हुई आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है। उक्त शासकीय भूमि सेड़ा के रूप में थी, जिसे तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/05–06/अ–19 पंजीबद्ध कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने आदेश दिनांक 30.05.2006 द्वारा सेटिल की गई थी।

2– यहकि, तहसीलदार करैरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2006 के विरुद्ध प्रत्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः इस कारण उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया था।

3– यहकि, तहसीलदार करैरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2006 को पुनर्विलोकन किये जाने बावत् कार्यवाही तहसीलदार करैरा द्वारा प्रारंभ की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3542–तीन/13 जिला –शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.8.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 4033–दो/2012 आदेश दिनांक 11.3.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3542–तीन/2013 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 4033–दो/2012 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 11.3.2013 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 3542–तीन/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य